Date - 20/11/2024
Time - 10. AM

डॉ मनोज कुमार सिंह
मनोविज्ञान विभाग
महाराजा कॉलेज आरा
P.G 1st Semester
Paper - CC - 2
Advance Social Psychology

Topic :-

गुणारोपण का परिचय एवं सिद्धान्त
Attribution Introduction and Theory

गुणारोपण को अरोपण के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अभी महत्त्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया (Cognitie process) है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षण करता है तो उस समय वह उतनी ही व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता है कि अमुक व्यवहार किया है बल्कि वह उन व्यवहारों के करणो अथवा उसकी उत्पत्ति के स्रोतों या प्रेरकों का भी अनुमान कर लेना ही गुणारोपण (Attribution) कला है। गुणारोपण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण को समझने का प्रयास करता है और इसी आधार पर अपनी ओर से उस व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय देता है। जैसे-जब हम किसी युवक को एक बुद्धं व्यक्ति की लाठी को पकड़कर सड़क पार कराते देखते है तो हम समझ लेते है उस परोपकारी व्यवहार का कारण उस युवक में नितित दया का शीलगुण है और इस आधार पर हम निर्णय दे देते हैं कि वह बड़ा दयालु है। अतः युवक के इस व्यवहार के कारण को समझने के लिए तथा उसी के अनुकूल निर्णय देने की यही प्रक्रिया गुणोरोपण कहलाता है। गुणारोपण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से भी है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार अथवा दूसरों के व्यवहार के कारणों को समझने का प्रयास करता है तथा अपनी ओर से कोई निर्णय आरोपित कर देता है। अतः गुष्णारोपण को व्यापक अर्थ के सम्बन्ध में दो बातें महत्वपूर्ण है-

एक तो यह कि गुणारोपण में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण को समझने तथा उसके अनुकुल निर्णय देने का प्रयास करता है। जैसे-जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति आक्रमणकरी व्यवहार करते देखते हैं तो उसे क्रोध का परिणाम समझते हैं तथा निर्णय देते हैं कि वह व्यक्ति क्रोधी स्वभावक है।

दूसरी बात यह है कि गुणारोपण में एक व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण को समझने तथा उससे संगत निर्णय देने का प्रयास करता है। जैसे-जब कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जेबें टटोलने के उद्देश्य से एक व्यक्ति जाकर उनके साथ सहानुभूतिपूवर्क व्यवहार करने लगा हों तो वह अच्छी तरह समझता है कि उस व्यवहार का कारण उसका अपना स्वार्थ है अतः अपने सम्बन्ध में वह निर्णय दे सकता है कि वह पाखंडी या धोखें बाज है। रेबर (Reber 1995) ने उसी व्यापक अर्थ में गुणारोपण को परिभाषित किया है।

गुणरोपण का स्वरूप काफी जटिल होता हैं। उसके स्वरूप के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक संज्ञानात्मक है। उसके द्वारा व्यक्ति को किसी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। उसका सम्बन्ध किसी व्यवहार के कारण की खोज से होता है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी व्यवहार के कारण को समझने का प्रयास करता है। यदि हम किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देते देखते हैं तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वह गाली क्यों दे रहा है इसका कारण क्या है। गुणारोपण का सम्बन्ध सांकेतिक

निर्णय से होता है। गुणारोपण में व्यक्ति सिर्फ व्यवहार के कारण को समझने का प्रयास ही नहीं करता है, बल्कि अपनी ओर से किसी गुण या शीलगुण की चार्च करता है और एक निर्णय देता है। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करते देखकर हम निर्णय दे सकते हैं कि वह बड़ा दयालु है। यह एक द्विविमील प्रक्रिया है गुणारोपण की एक विशेषता यह है कि इसकी दो विमाएँ होती है। एक विमा बाहर की तरफ होती है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने तथा उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय देने का प्रयास करता है। इसे अन्य प्रत्यक्षीकरन भी कहा जा सकता है। गुणारोपण का सम्बन्ध व्यवहार के क्यों पक्ष से होता है। व्यवहार के तीन पक्ष होते है- क्या (What) तथा क्यों (Why). गुणारोपण का सम्बन्ध क्यों (Why) पक्ष से होता है। गुणारोपण इस बात की व्याख्या करता है कि इसके पीछे कारण क्या है ।

गुणारोपण की प्रक्रिया पर कभी आंतरिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और कभी बाहन कारकों का प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कभी तो वह प्रक्षक (Observe) या प्रत्यक्षणकर्ता (Perceiver) किसी लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या कभी बाहर कारणों के आधार पर तो कभी आंतरिक कारणों के आधार पर करता है। इस गुणारोपण प्रक्रिया का लाभ यह होता कि लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध में भविष्यवाणी या पूर्वकथन करने में मदद मिलती है। जैसे मान लें कि किसी डाईवर के द्वारा दुर्घटना हो जाने पर जब कोई जखमी हो जाते है और अगर इस दुर्घटना के पीछे उस ड्राइवर की लापरवाही होती है तो इस संदर्भ में जाएगी कि उस व्यक्ति से भविष्य में भी लापरवाही होगी। अतः उसको करना का इंजन को खरीबी है हो उसे लीक करके दुर्घटना को रोका जा सकता है। अतः गुणारोपण के आधार पर लक्ष्य व्यक्ति केव्हार से सम्बन्धित भविष्यवाणी करके उसे नियत्रित करना सम्भव होता है। गुणारोपण को निर्धारित करने में कई बाहन कारकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बाहन कारकों का अर्थ वे कारक या निर्धारित होते हैं जिनका सम्बन्ध उस परिस्थिति से होता है, जिस परिस्थिति में लक्ष्य व्यक्ति में कोई व्यवहार घटित होता हैं यहाँ लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार व्याख्या उस व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि उस परिस्थिति में आधार पर की जा सकती है।

गुणारोपण के सिद्धान्त ***(Theories of Attribution)***

गुणारोपण के सिद्धान्त (Theories of Attribution)- समाज मनोवैज्ञानिकों ने गुणारोपण की व्याख्या करने के लिए कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उन सिद्धान्तों में उस बात की व्याख्या करने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति के अमुक व्यवहार के सम्भावित कारण क्या हो सकते हैं क्योंकि व्यकृत प्रायः एक खास तरह से व्यवहार करता है। समान्तयतः व्यवहार के दो कारण हो सकते है- आन्तरिक (External) तथा बाहन (External), जय व्यवहार का कारण व्यक्ति गत शीलगुण होते है, तब उन कारणों को आन्तरिक कारण कहा जाता है। जब व्यवहार का कारण पर्यावरणीय कारक कहा जाता है तब उस कारणों का बाधा कारण कहा जाता है। गुणारोपण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने निम्नाकित चार प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है

1. हाइडर का सहज मनोविज्ञान गुणारोपण सिद्धान्त ***(Heider's Navie Psychology Attribution Theory)***

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हाइडर (Heider 1958) द्वारा किया गया। हाइडर का यह सिद्धान्त व्यक्ति के व्यवहारों के सम्भावित कारणों की व्याख्या एक सरलतम ढंग से करता है। हाइडर का मत है कि अधिकतर व्यक्ति एक तरह से सहज मनोवैज्ञानिक (Naive psychology) के कार्य करते हुए दूसरों के व्यवहारों को समझने की कोशिश करता है ताकि वैसे व्यवहारों के विषय में पहले से ही भविष्य में पुर्वानुमान लगाया जा सकें। हाइडर का मत है कि अधिकतर व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों के कारणों को समझने के लिए निम्नांकित तीन सम्भावित व्याख्याओं में से किसी एक पर जोर डालते हैं-

(क) प्रत्यक्षणकर्ता यह मान लेता है कि किसी व्यक्ति व्यवहार काकारण उसके इर्द-गिर्द की परिस्थिति होती है। दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति इर्द-गिर्द परिस्थिति के पड़ने वाले दबाव के कारण हो अमुक व्यवहार करता है।

(ख) दूसरी वैकल्पिक व्याख्या यह है कि प्रत्यक्षणकर्ता यह समझ बैठता है कि लक्षित व्यक्ति के अमुक व्यवहार कोई निश्चित उद्देश्य या निश्चित के साथ किया है और इस व्यवहार का कारण लक्षित व्यक्ति को व्यक्तिगत विशेषता पाता है।

(ग) तीसरी वैकल्पिक व्याख्या यह है. कि प्रत्यक्षणकर्ता यह समझ बैठता है कि लक्षित व्यक्ति ने अमुक व्यवहार कोई निश्चित उद्देश्य या निश्चय के साथ किया है और इस व्यवहार का कारण लक्षित व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता है। हाइडर के इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्षणकर्ता लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों के कारकों की व्याख्या उपर्युक्त तीन वैकल्पिक व्याख्याओं के रूप में करता है इनमें से जब व्यवहार के कारणों व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में किया जाता है तो उस तरह की सूचना के आधार पर उसके भविष्य में होनेवाले व्यवहार को पूर्वानुमान आसानी से लगाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हाइडर के सिद्धान्त को कुछ गुण सामने आते हैं, जो इस प्रकार है

. यह काफी सरल सिद्धान्त है। प्रक्रिया की व्याख्या यहाँ बहुत ही सहज रूप से कि गई है।

. यह एक समग्र सिद्धान्त है। उसमें गुणारोपण के सभी कारकों को समभावित करने का प्रयास किया जात गया हैं।

. गुणारोपण प्रक्रिया का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है।

. यह सिद्धान्त से आरोपण के अन्य सिद्धान्तों के विकास में काफी सहायता मिली। अतः इसका शोधमूल्य सराहनीय है। रेबर (1995) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गुणारोपण के अन्य सिद्धान्तों के विकास में हाइडर के सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त हाइडर के गुणारोपण के इस सिद्धांत के कुछ <u>दोष</u> भी हैं-

यह सिद्धान्त वास्तव में एक सतही दृष्टिकोण है। यहाँ गुणारोपण को ग्रहन रूप से समझने का प्रयास नहीं किया गया है।

. यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है, जो पूरी तरह अनुमान पर आधारित है।

. इस सिद्धान्त में संयोग-कारक में महत्त्व की स्वीकार किया गया है, जिसका कोई वैज्ञातिक आधार नहीं है।

. यह सिद्धान्त उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं कर पाता है, वहाँ आरोपण का आधार बाध कारक या आंतरिक कारक बनते हैं। अतः आरोपण प्रकिया में स्वरूप तथा इसके आधार तत्वों की व्याख्या करने में हाइडर सिद्धान्त सफल नहीं है।

<u>जोन्स एवं डेविस का सहसम्बन्धी अनुमान सिद्धान्त</u> ***(Jones and Davis Correpudent Interence Theory)***- जोन्स तथा डेविस (Jons and Davis) ने 1965 में गुणारोपण प्रक्रिया (Attribution process) को

व्याख्या के लिए एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसको सह-सम्बन्धी अनुमान सिद्धान्त (Correpodent bodent interence theory) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्षणकर्ता दूसरे व्यक्ति या लक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी व्यवहार से उत्पन्न परिणामों का प्रेक्षण करता है और उन परिणामों के आधार पर लक्षित व्यक्ति का मूल्यांकन या उसके व्यवहारों का गुणारोपण किया जाता है। इस सिद्धन्त की एक महत्पूर्ण पूर्व कल्पना यह है कि लक्षित व्यक्ति की व्यक्ति गत प्रदृष्टि तथा उसके उद्देश्यों में पारस्परिक सहमती होती है। इस पूर्वकल्पना के अनुसार यह जानने के बाद कि कोई लक्षित व्यक्ति किन परिणामों एवं प्रभावों को उत्पन्न करना चाहता है, प्रत्यक्षणकर्ता उसकी मनोवृत्तियों एवं अन्य वैयक्ति शीलगुणों का एक अच्छा संज्ञान प्राप्त करता है।

किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी सामाजिक अनुक्रिण से प्रायः एक या एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि उस सामाजिक अनुक्रिया से सिर्फ एक ही प्रभाव उत्पन्न हो तो उस प्रभाव या परिणाम का प्रेक्षण कर के प्रत्यक्षणकर्ता यह आसानी से समझ जाता है कि उस प्रभाव के उत्पन्न करना व्यक्ति का उद्देश्य था और के अनुरूप वह व्यक्ति में कुछ विशेषताओं का गुणारोपण करता है परन्तु यदि सामाजिक अनुक्रिया प्रभाव या परिणाम उत्पन्न होते हैं तो वैसी परिस्थिति में प्रत्यकर्ता के सम्मुख प्रश्न उठते है। क्या अजित का उद्देश्य उन सभी प्रभावों या परिणामों को उत्पन्न करना था ? यदि नहीं तो व्यक्ति अपने व्यहार द्वारा कौन का प्रभाव या परिणम उत्पन्न करना चाहता था और कौन सा नहीं वास्तविकता तो यह है कि शायद ही कोई सामाजिक व्यवहार ऐसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य मात्र एक प्रभाव उत्पन्न करना होता है। गुणारोपण की लगभग प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्यक्षणकर्ता लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों में अनेक प्रभावों का प्रत्यक्षण करता है और यह निर्णय लेता है कि किन प्रभावों को उत्पन्न करना उसका उद्देश्य नहीं होता है, उसे गुणारोपण में कोई स्थान नहीं दिया जाता है।

जोन्स तथा डेविस (Jones and Davis, 1965) के सिद्धान्त के अनुसार जब व्यक्ति दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनने का निर्णय लेता है तो उनके द्वारा सम्पादित व्यवहार उन सभी विकल्पों से अलग-अलग उत्पन्न हो सकनेवाले प्रभावों या परिणामों से असमान परिणाम (uncommon effect) उत्पन करने के उद्देश्य से होती हुई समझी जाती है। प्रश्न यह उठता है कि असमान परिणाम क्या है तथा यह किस प्रकार से समान परिणाम या प्रभाव से भिन्न होता है। उसकी व्याख्या इस प्रकार से कि जा सकती है। मान लिया जाए कि मोहन किसी परिस्थिति में दो व्यवहार करने में सक्षम है-

'A' तथा 'B'। 'A' व्यवहार के करने से x, y तथा 2 तीन तरह के प्रभाव या परिणाम होते हैं तथा 'B' व्यवहार के करने से x, * तथा 2 तीन प्रभाव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनो व्यवहारों से उत्पन्न होनेवाले प्रभाव अर्थात् x तथा 2 समान प्रभाव कहे जायेंगे जबकि प्रभाव ' y' व्यवहार 'A' से तथा v' प्रभाव ' B' व्यवहार से उतपन्न असमान प्रभाव के उदाहरण होंगे। इस सिद्धान्त के अनुसार जब व्यक्ति ' A' व्यवहार करता है तो उसका मतलब यह हुआ कि वह ' y' प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है और यदि वह ' B' व्यवहार करता है तो उसका मतलब यह अआ कि वह ' k' प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है इस तरह व्यक्ति सामाजिक अनुक्रियाओं का वचन असमान प्रभावों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से करता है। कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि असमान प्रभाव की संख्या में वृद्धि से प्रत्यक्षणकर्ता के लिए विश्वास के साथ यह कहना कठिन हो जाता है कि किस विशेष असमान प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति ने सामाजिक अनुक्रिया किया है या अमुक निर्णय लिया है। फिर प्रत्यक्षणकर्ता द्वारा एक बार यह निर्णय ले लेने के बाद कि किन असमान प्रभावों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से व्यक्ति ने अनुक्रिया किया, व्यक्ति की विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का गुणारोपण हो जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त की मुख्य बातें, अभिधारणाएँ या आधार तत्व निम्नलिखित है-

(1) यह सिद्धान्त सह-सम्बन्धी अनुमान (Correspanding inference) को गणारोपण का आधार मानता है सह-सम्बन्धी अनुमान का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसके शीलगुणों तथा चित्रवृतियों पर आरोपित करना है (Baran and Byrne, 1987)

(ii) इस सिद्धान्त के अनुसार जब दूसरे के व्यवहार का परिणाम अपूर्व य असमान होता है तो उसके कारणों की व्याख्या उस व्यक्ति के शीलगुणों के आधार पर करना आसान होता है। जैसे-यदि कोई युवती किसी ऐसे युवक से विवह करने का निर्णय ले जो सुन्दर आकर्षक, शिक्षित तथा धनवान हो तो ऐसी हालत में उसके इस निर्णय के कारणों क व्याख्या करना बहुत-बहुत कठिन होगा। दूसरे शब्दों में यह अनुमान करना कठिन होगा कि युवक के किस गुण से प्रभावित होकर उसने विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके अनेक सम्भावित कारण हो सकते हैं- सुन्दरता, शिक्षा, धन आदि। दूसरी ओर यदि वह ऐसे युवक से विवाह करने का निर्णय लेती है जो कुरूप, अशिक्षित, गवार तथा धनवान हो तो उसके इस अपूर्व व्यवहार को व्याख्या करना बहुत आसान बन जाता है। यहाँ उसके निर्णय का सम्भावितं कारण सिर्फ धन हो सकता है। अतः हम उस युवती के शीलगुण के सम्बन्ध में अनुमान लगा सकते हैं कि वह अन्य बातों की अपेक्षा धन को अधिक महत्त्व देती है।